इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016—चैत्र 12, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2016

क्र. ई-5-992-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवि डफरिया, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 26 फरवरी से 3 मार्च 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि डफरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2016

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती जी.व्ही. रश्मि, आयएएस., संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 फरवरी 2016 द्वारा दिनांक 18 अप्रैल से 7 मई 2016 तक, बीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब-(एक) 1140.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री गुणवंत सिंह सलुजा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन.	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर, श्रीमती मीना सिंह के स्थान पर.
2	श्री भारत सिंह ओहरिया, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) अ.नि. एक्ट, दतिया.	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम श्री सुरेश चन्द्रपाल के स्थान पर.
3	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, (जूनि.), विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.) अ.नि. एक्ट, छिन्दवाड़ा.	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, गुना के रिक्त स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2016

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 49), राज्य शासन, सुश्री प्रियंका बुन्देला पिता श्री बहादुर सिंह बुन्देला को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 15 जनवरी 1991 है.

फा. क्र. 3(ए)02-2016-1180-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री जगदीश बाहेती, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (वर्तमान पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध गंभीर कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग (by circulation) दिनांक 21 मार्च 2016 में पारित प्रस्ताव द्वारा उच्च न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किये जाने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री जगदीश बाहेती, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (वर्तमान पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली) को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किया जाए.

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम (ix) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए, एतद्द्वारा, राज्य शासन श्री जगदीश बाहेती, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (वर्तमान पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करता है.

फा. क्र. 17 (ई)81-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल की सेवाएं, एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन से वापस लेकर मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 10 मार्च 2016

क्र. 29-2016-एलए/3253.—कार्यपालन अभियंता (सिविल) फेस-दो, (2-660 मेगा) विद्युत् परियोजना दोंगालिया जिला खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/काअसि/दो/श्री सिंगाजी/408, दिनांक 25 फरवरी 2016 द्वारा जिला खण्डवा की तहसील पुनासा के ग्राम दोंगालिया में स्थापित (660×2) मेगावाट की वृहद ताप विद्युत् परियोजना की भू-अर्जन निति अनुसार जिनकी 60 प्रतिशत से अधिक गई है उनकी सम्पूर्ण भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. सिंगाजी ताप विद्युत् हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) के अध्याय-2(अ) धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं :—

अ.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	भूखंड क्रमांक	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	निर्मित रकबा (वर्गमीटर में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	खण्डवा	टप्पा-मूंदी तहसील-पुनासा.	55	बिजोरामाफी	551	501.66	(1) पक्का मकान 74.90 व.मी. (2) शौचालय 4.50 व.मी. (3) बाउंड्रीवाल 55.7मी.× 2.3 मी. ऊंचाई.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना की निति अनुसार परियोजना हेतु सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहण किये जाने के फलस्वरूप शेष भूमि अर्जिन बाबत्.
					07	501.66	(1) पक्का मकान 115.0 व.मी. (2) बरामदा 27.00 व.मी. (3) बाउंड्रीवाल 7.9 मी.× 1.6 मी. ऊंचाई.	
					421	501.66	(1) पक्का मकान 231.30 व.मी. (2) टीनशेड 132.240 व.मी. (3) टीनशेड 16.34 व.मी.	
					420	501.66	(1) पक्का मकान 78.11 व.मी. (2) मकान 208.38 व.मी. (3) अस्थायी टीन शेड 105.78 व.मी. (4) टीन शेड 75.50 व.मी.	
					योग. .	2006.64 वर्गमीटर	1069.05 व.मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर	

नोट :—1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता श्री सिंगाजी थर्मल पावर, दोंगालिया के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 29-2016-एलए-भू-अर्जन-2016-3256.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) से (4) में वर्णित भूमि की, खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे.)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	टप्पा-मूंदी तहसील-पुनासा.	बिजोरामाफी	1. चार प्लाट—2006.64 वर्गमीटर 2. 04 टीनशेड कुल क्षेत्रफल-1069.05. 3. बाउंड्रीवाल-63.6	कार्यपालन अभियंता श्री सिंगाजी थर्मल पावर दोंगालिया जिला खंडवा.	श्री सिंगाजी थर्मल पावर की परियोजना हेतु.

अनुसूची (2)

परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—बिजोरामाफी की प्रभावित भूमि का विवरण

अ.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	भूखंड क्रमांक	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	निर्मित रकबा वर्गमीटर में	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	खण्डवा	टप्पा-मूंदी तहसील-पुनासा.	55	बिजोरामाफी	551	501.66	(1) पक्का मकान 74.90 व.मी. (2) शौचालय 4.50 व.मी. (3) बाउंड्रीवाल 55.7मी.× 2.3 मी. ऊंचाई.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत्.परियोजना की निति अनुसार परियोजना हेतु सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहण किये जाने के फलस्वरूप शेष भूमि अर्जिन बाबत्.
					07	501.66	(1) पक्का मकान 115.0 व.मी. (2) बरामदा 27.00 व.मी. (3) बाउंड्रीवाल 7.9 मी.× 1.6 मी. ऊंचाई.	
					421	501.66	(1) पक्का मकान 231.30 व.मी. (2) टीनशेड 132.240 व.मी. (3) टीनशेड 16.34 व.मी.	
					420	501.66	(1) पक्का मकान 78.11 व.मी. (2) मकान 208.38 व.मी. (3) अस्थायी टीनशेड 105.78 व.मी. (4) टीन शेड 75.50 व.मी.	
					योग. .	2006.64 वर्गमीटर	1069.05 व.मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर	

नोट :—1. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता श्री सिंगाजी थर्मल पावर, दोंगालिया के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2016

क्र. 11.—मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सेमरिया, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)				राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर		
(1)				(2)		
क्र.	राजस्व मूल ग्राम का नाम	प.ह.नं.	मूल ग्राम से पृथक किया क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्र.	नवीन ग्राम का नाम	प.ह.नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रगौली	02	255.929	1	खपटिहा	02

क्र. 09.—मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील मऊगंज, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)				राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर		
(1)				(2)		
क्र.	राजस्व मूल ग्राम का नाम	प.ह.नं.	मूल ग्राम से पृथक किया क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्र.	नवीन ग्राम का नाम	प.ह.नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रकरी	46	428.597	1	पचपहरा	46

क्र. 10.—मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील मनगवां, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)				राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर		
(1)				(2)		
क्र.	राजस्व मूल ग्राम का नाम	प.ह.नं.	मूल ग्राम से पृथक किया क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्र.	नवीन ग्राम का नाम	प.ह.नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रघुराजगढ़	49	189.430	1	अटारी	49

राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(संशोधित सार्वजनिक सूचना)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 मार्च 2016

रा. प्र. क्र.-05-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत **बुचनई जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु** निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु **मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग** के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को **प्रारूप "क"** में सूचना दी जाकर उनसे **प्रारूप "ख"** में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में **बुचनई जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु** निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-भाजीपानीखुर्द ब. न.-428 प. ह. नं.-38 रा. नि. मं.- सांवरी.	1. विनोद पिता सहसराम पवार निवासी ग्राम-कामठी, भूमि स्वामी.	141/2 142	0.222 0.032	बुचनई जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
			2. जागो, माधो, जगन पिता तुलसीराम, अंबा विधवा तुलसीराम पवार निवासी ग्राम कामठी, भूमि स्वामी.	145/3 145/4	0.150 0.048	
			3. देवाराम पिता रामाजी पवार निवासी ग्राम-कामठी, भूमि स्वामी.	156/1	0.072	
			4. सिरपत पिता रामाजी पवार निवासी ग्राम-कामठी, भूमि स्वामी.	158/7	0.020	
				कुल योग . .	0.544	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 21 मार्च 2016

प्रारंभिक सूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)]

क्र. 884-रीडर-2016-प्र.क्र. 15-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम कैथुली तहसील भानपुरा जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—कैथुली, क्षेत्रफल रकबा 13.565 हे.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कैथुली	13.565	0.000	13.565
	योग . .	**13.565**	**0.000**	**13.565**

अनुसूची (2)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	शकिलाबानो पति नौशाद अली निलगर मुसलमान नि. रावतभाटा.	706	1.214	0.110	0.000	0.110
2	शरद कुमार पिता ओमप्रकाश महाजन नि. रामगंजमंडी.	709	0.777	0.225	0.000	0.225
		718	3.269	0.125	0.000	0.125
		721/1	2.023	0.295	0.000	0.295

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	भगवानसिंह पिता देवीसिंह राजपुत नि. ग्राम.	721/2	1.761	0.215	0.000	0.215
4	बिहारी पिता कनीराम बंजारा नि. ग्राम.	722/2/1	0.762	0.135	0.000	0.135
5	अनुपसिंह ललीतसिंह बजरंगलाल पिता मदनसिंह राजपुत नि. ग्राम.	723/3 724/2/2	1.619 1.750	0.320 0.375	0.000 0.000	0.320 0.375
6	नौदियानबाई पति नारायणसिंह राजपुत.	724/2/1/1	0.984	0.085	0.000	0.085
7	नारायणसिंह पिता कानसिंह राजपुत	725/2/2	1.624	0.310	0.000	0.310
8	साबुबाई पति धन्ना बंजारा नि. गुलाबनगर.	725/2/1 725/1/2	0.500 0.400	0.165 0.125	0.000 0.000	0.165 0.125
9	रमेश पिता धन्नाजी बंजारा नि. गुलाबनगर.	693/3	1.600	0.029	0.000	0.029
10	मांगीलाल पिता भुवाना बंजारा नि. ग्राम.	693/1/2	0.405	0.105	0.000	0.105
11	राधेश्याम पिता कालुराम पाटीदार नि. आमझरी.	688/2	1.011	0.190	0.000	0.190
12	श्रवण पिता धन्ना सिंधी नि.ग्राम	688/1	2.024	0.180	0.000	0.180
13	तारा प्रताप बालु पिता जगसी बुरीबाई बेवा जगसी सिन्धी नि. आमझरी.	689/1	3.238	0.225	0.000	0.225
14	पुरीलाल पिता वजेसिंह सिन्धी नि. गुलाबनगर.	689/2	0.809	0.175	0.000	0.175
15	अन्नीबाई बेवा ईसारा चन्दा पिता ईसारा लीलाबाई बेवा वजेसिंह परथी पिता वजेसिंह सिन्धी नि. गुलाबनगर.	682/1	3.907	0.215	0.000	0.215
16	हुकुम केशर दयाराम श्रीराम उत्तम छगन पिता गंगाराम व पाउबाई बो गंगाराम नि. गुलाबनगर.	681/1	4.002	0.380	0.000	0.380

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	जसवंतसिंह पिता पुरीलाल सिन्धी नि. गुलाबनगर.	742/2	1.518	0.045	0.000	0.045
18	रेवासिंह पिता किशनलाल सिन्धी नि. गुलाबनगर.	751/6	0.823	0.255	0.000	0.255
19	छोगासिंह बाबुसिंह हरिसिंह दोलतसिंह हेमराज डालुसिंह गोवर्धनसिंह कालुसिंह पिता भीमसिंह सिन्धी नि. गुलाबनगर.	746/1	1.823	0.165	0.000	0.165
20	नाहरसिंह नारायणसिंह खुमानसिंह मनोहरसिंह पिता भेरूसिंह व सरसकुंवरबाई बेवा भेरूसिंह सज्जनसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत नि. ग्राम.	756	4.642	0.275	0.000	0.275
21	नाहरसिंह, नारायणसिंह खुमानसिंह मनोहरसिंह पिता भेरूसिंह पद्मबाई पिता भेरूसिंह व सरसकुंवर बाई बेवा भेरूसिंह सज्जनसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत.	754	0.721	0.255	0.000	0.255
22	सज्जनबाई पिता काना अहिर नि. ग्राम.	664	0.275	0.139	0.000	0.139
23	शंकरसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत निवासी ग्राम.	665	0.235	0.012	0.000	0.012
24	हिरालाल, हरलाल, ग्यारसीबाई, कंवरबाई पिता उदा गुर्जर नि. भानपुरा.	662	0.874	0.160	0.000	0.160
25	विरेन्द्र कुमार, सुरेश कुमार पंकज कुमार पिता रमेशचन्द्र व सुमित्राबाई बेवा रमेशचन्द्र ब्राहमण नि. ग्राम.	798/1	1.570	0.100	0.000	0.100
26	राजेन्द्र कुमार दिलीप कुमार	798/2	0.890	0.180	0.000	0.180
	पिता रतनलाल अहिर नि. ग्राम.	803	0.571	0.150	0.000	0.150
27	सत्यनारायण पिता रामरतन ब्राहमण नि. ग्राम.	804	0.567	0.155	0.000	0.155
28	शोभाराम पिता गोकुल प्रसाद ब्राहमण नि. ग्राम.	805	2.424	0.160	0.000	0.160

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	नन्दकिशोर उर्मिला पिता उमाशंकर ब्राहमण नि. नावली.	652	0.057	0.038	0.000	0.038
30	भंवरलाल पिता नाथु अहिर नि. ग्राम.	657	0.821	0.255	0.000	0.255
31	पवन कुमार पिता तेजकरण अ.पा.क. माता चन्दाबाई बेवा तेजकरण नरेन्द्र कुमार पिता बालमुकुन्द ब्राहमण नि.ग्राम.	656	0.785	0.120	0.000	0.120
32	कान्ताबाई बेवा माणकचंद प्रकाशचन्द्र कुशालचन्द्र पिता माणकचंद महाजन नि. ग्राम.	598	0.987	0.115	0.000	0.115
33	देवीलाल श्यामलाल पिता	603	0.466	0.215	0.000	0.215
	मांगीलाल कालीबाई बेवा	605	0.219	0.070	0.000	0.070
	मांगीलाल गुर्जर नि. ग्राम.	604	0.077	0.027	0.000	0.027
34	धापुबाई बेवा मांगीलाल जीवराम सत्यनारायण शकुन्तलाबाई उषाबाई, संतोषबाई विद्याबाई बबीताबाई पिता मांगीलाल ब्राहमण नि. ग्राम.	558	0.777	0.250	0.000	0.250
35	कालुराम पिता भेरूलाल गुर्जर नि. ग्राम.	557/1	0.364	0.051	0.000	0.051
36	गीताबाई-दुलीचंद ब्राहमण नि. ग्राम.	499	0.150	0.010	0.000	0.010
37	ओमप्रकाश श्यामसुन्दर पिता	500	0.206	0.140	0.000	0.140
	रतनलाल महाजन नि. ग्राम.	505	0.275	0.012		0.012
38	श्यामसुन्दर ओमप्रकाश पिता रतनलाल कपुरीबाई पति रतनलाल एवं प्रवर पिता श्यामसुन्दर ना.बा. सर श्यामसुन्दर विकास पिता ओमप्रकाश महाजन नि. ग्राम.	502	0.486	0.150	0.000	0.150
39	शरीफ खॉ पिता बाबुखां मुसलमान नि. ग्राम.	504	0.502	0.185	0.000	0.185

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40	रामप्रसाद पिता किशनलाल ब्राहमण नि. ग्राम.	507	0.239	0.105	0.000	0.105
41	कान्तीबाई बेवा माणकचंद दीपचन्द प्रकाशचन्द्र कुशालचन्द्र पिता माणकचंद महाजन नि.ग्राम.	508	0.146	0.043	0.000	0.043
42	सज्जनबाई पिता काना अहिर नि. ग्राम.	509	0.709	0.080	0.000	0.080
43	वरदीबाई पिता ओकार अहिर नि. ग्राम.	510	0.575	0.215	0.000	0.215
44	राजेन्द्रसिंह पिता मानसिंह राजपुत नि. ग्राम.	511/2	0.028	0.015	0.000	0.015
45	बालमुकन्द पिता किशन ब्राहमण नि. ग्राम.	512	0.372	0.075	0.000	0.075
46	सत्यनारायण पिता मांगीलाल ब्राम्हण	488	0.417	0.140	0.000	0.140
47	अमीनउद्दीन पिता फकीरमोहम्मद मुसलमान नि. ग्राम.	485/2	0.804	0.024	0.000	0.024
48	देवीलाल पिता बच्छू व रामकन्याबाई पति देवीलाल चमार नि. ग्राम.	435/2/6	2.000	0.010	0.000	0.010
49	नाथु पिता मोती चमार नि. भगवानपुरा.	435/8	1.000	0.310	0.000	0.310
50	रतनलाल पिता तुलसीराम रुद्रवाल जाति तम्बोली नि. भानपुरा.	435/2/10	0.614	0.215	0.000	0.215
51	परसराम जीवा बापु मुलचंद कजोड़ी पिता प्रेमा बंजारा नि. ग्राम.	442/2	0.523	0.165	0.000	0.165
52	परसराम जीवा बापु मुलचंद कजोड़ी पिता प्रेमा बंजारा नि. ग्राम.	442/1	0.322	0.055	0.000	0.055
		415	1.072	0.205	0.000	0.205
		470/1/1	0.405	0.100	0.000	0.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53	मांगीलाल नन्दलाल पिता गब्बा बंजारा नि. भगवानपुरा.	447/2	0.724	0.210	0.000	0.210
54	सत्यनारायण बंशीलाल सतीश मंजुलाबाई संजुकुमारी पिता पुरुषोत्तम ब्राहमण.	447/1	0.724	0.185	0.000	0.185
55	पुरीलाल पिता किशनलाल सिन्धी नि. ग्राम.	751/5	0.823	0.015	0.000	0.015
56	आशु पिता दुर्गा बंजारा चमार	2/6	1.011	0.220	0.000	0.220
57	घासी पिता दुर्गा बंजारा चमार	2/8	1.411	0.125	0.000	0.125
58	गणपत पिता परसा बंजारा चमार	2/9	0.786	0.100	0.000	0.100
59	मांगीलाल नन्दलाल पिता गब्बा बंजारा चमार.	2/10	0.809	0.065	0.000	0.065
60	जगन्नाथ धन्नालाल बद्रीनाथ दुलीचंद सुरज जमनाबाई लीलाबाई पिता पन्ना बंजारा चमार नि. भगवानपुरा.	2/11	2.000	0.127	0.000	0.127
61	कनीराम लालु जग्गु पिता देवा व राजु द.पु. लक्ष्मण बंजारा चमार.	2/12	2.000	0.115	0.000	0.115
62	श्यामलाल बंशीलाल पिता डूंगा मथुरीबाई बेवा डुगा बंजारा चमार.	2/13	2.000	0.135	0.000	0.135
63	अमरा पिता प्रेमा बंजारा चमार	2/14	2.000	0.105	0.000	0.105
64	रुघनाथ पिता मानसिंह बंजारा चमार.	2/5	0.990	0.155	0.000	0.155
65	बगदीराम सोलाल पिता नारायण बंजारा चमार नि. भगवानपुरा.	2/4	2.000	0.150	0.000	0.150
66	पुरीलाल कमलीबाई पिता रामा व घीसीबाई बेवा रामा बंजारा चमार.	2/3	2.000	0.210	0.000	0.210
67	घासी पिता नवल बंजारा चमार	2/2	0.381	0.097	0.000	0.097

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68	घनश्याम रामदयाल गोकुलबाई शारदाबाई पिता काना व बुलाकबाई बेवा काना धाकड़ नि. ग्राम.	13/2/2	0.757	0.067	0.000	0.067
69	सेवा पिता चतरा जानीबाई पति सेवा बंजारा चमार.	2/1/6	1.000	0.240	0.000	0.240
70	पीरू पिता नारायण बंजारा चमार	12/2	0.678	0.235	0.000	0.235
71	सजनबाई पति पीरुलाल बंजारा चमार.	12/1	0.678	0.172	0.000	0.172
72	प्रकाश श्यामलाल प्रेमचंद नाथुराम पिता जीवा व खेमीबाई बेवा जीवा बंजारा चमार.	11 10 मिन 2	0.316 0.344	0.160 0.110	0.000 0.000	0.160 0.110
73	प्रकाश पिता जीवा बंजारा चमार नि. ग्राम.	5	0.162	0.005	0.000	0.005
74	प्रभुलाल पिता छोगा व सोरमबाई पति प्रभुलाल भील नि. ग्राम.	2/1/2	1.000	0.100	0.000	0.100
75	बाबुलाल पिता नन्दलाल व सीताबाई पति बाबुलाल भील नि. ग्राम.	2/1/2	1.214	0.100	0.000	0.100
76	धुरीलाल पिता भेरूलाल बंजारा चमार नि. भगवानपुरा.	2/1/7/2	0.400	0.375	0.000	0.375
77	जगदीश पिता भेरूलाल बंजारा चमार नि. भगवानपुरा.	2/1/7/1	0.400	0.033	0.000	0.033
78	राधेश्याम पिता मांगीलाल व द्रोपतीबाई पति राधेश्याम चमार नि. भगवानपुरा.	13/2/1/2	1.352	0.127	0.000	0.127
79	सुहागबाई पति कन्हैयालाल चमार नि. ग्राम.	744	0.660	0.140	0.000	0.140
80	नन्दलाल पिता जयसिंह व खेमीबाई बेवा जयसिंह बंजारा चमार.	2/15	1.600	0.185	0.000	0.185
81	मांगीलाल पीरु पिता नारायण बंजारा चमार.	2/7	0.405	0.072	0.000	0.072
		योग . .	96.635	13.565	0.000	13.565

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)]

क्र. 882-रीडर-2016-प्र.क्र. 07-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण कीं जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम नीमथुर तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप ''ख'' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा:—

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—नीमथुर, क्षेत्रफल रकबा—10.591 हे.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नीमथुर	10.591	0.000	10.591
	योग . .	**10.591**	**0.000**	**10.591**

अनुसूची (2)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	तेजसिंह अमरसिंह पिता खेमा बंजारा नि. हरिपुरा.	526/2 मीन 2	1.045	0.265	0.000	0.265
2	सौदानसिंह पिता धनसिंह सो. रा. नि. धनकपुरा.	526/4/2/2 मिन 2	1.500	0.350	0.000	0.350
3	हनुमंतसिंह भगतसिंह पिता भेरूसिंह शानबाई बेवा अर्जनसिंह भुवानीसिंह रेखा पिता अर्जुनसिंह सो. रा. निवासी धनकपुरा.	526/2/1	1.018	0.262	0.000	0.262

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	तेजसिंह अमरसिंह बापुलाल नन्दुबाई तेजाबाई चुन्नीबाई रूकमणीबाई साबुबाई पिता खेमा जानीबाई बेवा खेमा बंजारा नि. हरिपुरा.	526/3	1.287	0.150	0.000	0.150
5	हनुमंतसिंह पिता भेरुसिंह शानबाई बेवा अर्जनसिंह भवानीसिंह रेखा पिता अर्जनसिंह सो. रा. निवासी धनकपुरा.	530/1 मिन 1	0.863	0.312	0.000	0.312
6	बाबुलाल पिता खेमाजी बंजारा हरिपुरा	526/2 मिन-1	1.017	0.350	0.000	0.350
7	रामसिंह पिता अमृतलाल मीणा निवासी भगवानपुरा.	517	0.427	0.310	0.000	0.310
8	रामसिंह भगतसिंह पिता भेरुसिंह सो. रा. नि. धनकपुरा.	529	2.153	0.410	0.000	0.410
9	मानकुंवरबाई पति रामदयाल रावत मीणा निवासी भगवानपुरा.	530/1 मिन-2	1.045	0.312	0.000	0.312
10	बालाराम सत्यनारायण पिता काशीराम व वर्दीबाई बेवा काशीराम मीणा नि. ग्राम.	517/1/4	2.550	0.310	0.000	0.310
11	राधेश्याम इंदिरा पिता कन्हैयालाल मीणा नि. भगवानपुरा.	517/2	2.467	0.450	0.000	0.450
12	सुशीलाबाई पति रतनलाल बंजारा हरिपुरा	513/1	0.384	0.100	0.000	0.100
13	हरिसिंह पिता लखा बंजारा नि. हरिपुरा	515	0.387	0.200	0.000	0.200
14	कमलाबाई बेवा मदनसिंह भेरुसिंह जसवंतसिंह नारायणसिंह पिता मदनसिंह राजपूत नि. ग्राम.	451 मिन 2	6.073	0.320	0.000	0.320
15	राधेश्याम पिता मदनलाल अहिर नि. ग्राम	493/1	0.836	0.335	0.000	0.335
		457/1	0.670	0.235	0.000	0.235
		456/2/3	0.523	0.075	0.000	0.075
16	स्व. डॉ. रावतमल पिता धनरुपमल सोजतिया पारमार्थिक न्यास भानपुरा.	454	2.081	0.010	0.000	0.010
17	वरदा पिता रुघनाथ खारोल नि. ग्राम	141	1.599	0.175	0.000	0.175

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	कन्हैयालाल पिता लक्ष्मण गुर्जर नि. भानपुरा.	148	2.383	0.250	0.000	0.250
19	प्रकाशचन्द्र पिता दीपचंद महाजन नि. ग्राम.	200	0.512	0.015	0.000	0.015
20	रतनीबाई बेवा भंवरलाल रोडु गोपाल मुकुन्द पिता उदाजी माली नि. ग्राम.	204	0.460	0.210	0.000	0.210
21	पुनमचंद द. पु. नाथुलाल अहिर नीमथुर	221 मिन 4	0.026	0.026	0.000	0.026
22	रोडु गोपाल मुकुन्दलाल पिता उदाजी माली नि. ग्राम.	205	0.031	0.010	0.000	0.010
23	देवीलाल कारूलाल पिता मुकुन्द माली नि. ग्राम.	207	0.481	0.155	0.000	0.155
24	रामनाथीबाई बेवा बापुलाल हुकुमचन्द्र शंभुलाल हरिराम मदनलाल व फूलचंद पिता बापुलाल खारोल नि. ग्राम.	92/2	0.300	0.178	0.000	0.178
25	रामनाथीबाई बेवा बापुलाल खारोल नि. ग्राम.	92/1	0.285	0.072	0.000	0.072
		78	0.345	0.010	0.000	0.010
26	पूरालाल पिता लक्ष्मण खारोल नि. ग्राम	79	0.679	0.275	0.000	0.275
		80	0.094	0.030	0.000	0.030
27	रमजीतसिंह नन्दुकंवरबाई उच्छपकुंवरबाई भूलकुंवर विष्णुकुवर कलकुंवर कैलाशकुंवर पिता महिपालसिंह.	81/1	1.122	0.180	0.000	0.180
		358	2.748	0.475	0.000	0.475
28	शोभागसिंह पिता गोविन्दसिंह राजपूत निवासी ग्राम .	82	0.178	0.050	0.000	0.050
		218	0.146	0.125	0.000	0.125
		217	0.513	0.020	0.000	0.020
29	शंभुसिंह प्रहलादसिंह शकुन्तलाकुंवर सरोजकुंवर पिता महेरसिंह सो. रा. नि. ग्राम.	81/3	1.122	0.010	0.000	0.010
30	ननुबाई बेवा काना श्यामलाल बगदीराम बगदराम पिता काना गुर्जर नि. ग्राम	220	1.191	0.060	0.000	0.060
		222	0.303	0.165	0.000	0.165
		223	0.219	0.009	0.000	0.009
31	कन्हैयालाल पिता नारायण मेहर नि. ग्राम	229	1.097	0.290	0.000	0.290

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	भेरूलाल पिता जगन्नाथ ब्राम्हण	253	1.066	0.215	0.000	0.215
33	नन्दुबाई पिता सेवा मेहर नि. ग्राम	225/1 मिन 2	1.000	0.130	0.000	0.130
34	दुर्गाशंकर रमेश देवकरण पिता नाथुलाल बलाई नि. ग्राम.	257/3	0.065	0.065	0.000	0.065
		263/6	1.087	0.100	0.000	0.100
35	रामकिशन पिता चतुर्भुज अहिर नि. ग्राम	259/1/1	1.045	0.360	0.000	0.360
36	कारूलाल पिता चुन्नीलाल माली नि. ग्राम	275/2/1	0.836	0.020	0.000	0.020
37	बालाराम पिता नानुराम जयकुंमार पिता रोडमल महाजन फूलचंद कैलाशचन्द्र रमेशचन्द्र पिता काना व रामप्यारीबाई बेवा काना तेली नि. ग्राम.	274	2.237	0.380	0.000	0.380
38	फूलचंद कैलाशचन्द्र प्रहलाद पिता काना रामप्यारीबाई बेवा काना राठौर नि. ग्राम.	273	0.449	0.055	0.000	0.055
39	शांतिबाई पति भेरुलाल दुबे ब्राम्हण नि. ग्राम.	263/1	0.198	0.110	0.000	0.110
		263/2	0.900	0.230	0.000	0.230
40	रमेशचन्द्र पिता काना तेली नि. ग्राम	263/3	0.500	0.010	0.000	0.010
41	बालचंद पिता भोनुराम लुहार नि. ग्राम	266/1 मिन 2	1.382	0.165	0.000	0.165
42	कन्हैयालाल पिता उदेराम लुहार नि. ग्राम	266/2	2.090	0.200	0.000	0.200
		265	0.418	0.035	0.000	0.035
43	मांगीलाल पिता नारायण खारोल नि. ग्राम	359/1	1.045	0.225	0.000	0.225
44	मांगीबाई पति बलराम नीमथुर	359/2	0.627	0.255	0.000	0.225
45	द्वारकालाल पिता कंवरलाल अहिर नि. ग्राम	284/1 मिन 2	0.495	0.165	0.000	0.165
46	रामगोपाल पिता शिवनारायण कुल्मी नि. ग्राम.	284/1 मिन 3	0.500	0.310	0.000	0.310
		284/3	0.088	0.005	0.000	0.005
47	राजाराम पिता चतुर्भुज अहिर नीमथुर	259/1/2	0.418	0.010	0.000	0.010
		योग . .	58.606	10.591	0.000	10.591

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2016

क्र. 1903-2016-विपप्र-ओएसडी.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है एवं 1 जुलाई, 2015 से नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 फरवरी 2016 से 12 फरवरी 2016 तक प्रशासन अकादमी के द्वारा आयोजन किया गया. इस आयोजित परीक्षा में विषय-हिन्दी-में निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री आर. उमा महेश्वरी	सहायक कलेक्टर

क्र. 1905-2016-विपप्र-ओएसडी.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है एवं 1 जुलाई, 2015 से विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है. विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 फरवरी 2016 से 12 फरवरी 2016 तक प्रशासन अकादमी के द्वारा आयोजन किया गया. इस आयोजित परीक्षा में निम्न निषयों-(1) दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया, (2) सिविल विधि एवं प्रक्रिया, (3) लेखा एवं वित्त, (4) म. प्र. स्थानीय शासन, (5) प्रकरण अध्ययन,—में निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
01	श्री आदित्य सिंह	सहायक कलेक्टर
02	श्री अंकित अस्थाना	सहायक कलेक्टर
03	श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा	सहायक कलेक्टर
04	श्री आशीष वशिष्ट	सहायक कलेक्टर
05	श्री अवि प्रसाद	सहायक कलेक्टर
06	श्री जांगिड लोकेश कुमार रामचंद्रा	सहायक कलेक्टर
07	श्री रिशव गुप्ता	सहायक कलेक्टर
08	श्री साकेत मालवीय	सहायक कलेक्टर
09	सुश्री शीतला पटले	सहायक कलेक्टर
10	सुश्री ऋजु बाफना	सहायक कलेक्टर
11	सुश्री भव्या मित्तल	सहायक कलेक्टर
12	सुश्री तन्वी हुड्डा	सहायक कलेक्टर
13	सुश्री आर. उमा महेश्वरी	सहायक कलेक्टर

क्र. 1906-2016-विपप्र-ओएसडी.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है एवं 1 जुलाई, 2015 से विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है. विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 बैच (बैकलॉग) परिवीक्षाधीन अधिकारी को लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 फरवरी 2016 से 12 फरवरी 2016 तक प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजन किया गया. इस आयोजित परीक्षा में विषय लेखा एवं वित्त में निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री आशीष भार्गव	सहायक कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 2 मार्च 2016

क्र. 33-कले.-स्थापना-स्था. अव.-51-5-2016.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर, जिला श्योपुर वर्ष 2016 में श्योपुर जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्र.	त्यौहार का नाम	दिन	दिनांक	अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	होली की भाईदूज	गुरूवार	24-03-2016	संपूर्ण जिले के लिये
2	मेला छिमाछिमा हनुमान जी विजयपुर	शनिवार	03-09-2016	तहसील विजयपुर/वीरपुर के लिये
3	दीपावली की भाईदूज	मंगलवार	01-11-2016	संपूर्ण जिले के लिये

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे.

पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016

प्र. क्र. 187-अ-82-2014-15.—(राज्य शासन के जल संसाधन विभाग पन्ना के सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना), चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमिधारक की अंकित भूमि की (राज्य शासन के जल संसाधन विभाग, पन्ना के सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना) की (बांध) निर्माण के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की धारा 11(1)(2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की (राज्य शासन के जल संसाधन विभाग पन्ना के सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना) के लिये आवश्यकता है:—

1. भूमि का वर्णन.—

(क) जिला—पन्ना, (ख) तहसील पन्ना, (ग) ग्राम—इटवांखास, (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 4.047 हे.

अनुसूची

स. क्र.	हितबद्ध पक्षकार का नाम व पता	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे.में.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री बाल मुकुन्द पिता महादेव नायक निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	621/30	4.047
		योग . .	4.047

2. (राज्य शासन के जल संसाधन विभाग, पन्ना के सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना) हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पन्ना में किया जा सकता है.

शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 22 मार्च, 2016

क्र. 162-भू-अर्जन-2016.—महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., खरगोन के द्वारा उनके पत्र क्र. भू-अर्जन-2016, दिनांक 3 फरवरी 2016 के द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा, डालची में स्थापित की जा रही (2×660) मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु 23 ग्रामों की "समर्पित फ्रेट कोरिडोर" के मानक के अनुसार तकनीकि दृष्टि से अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने से अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के तहत् भू-अर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. इस कार्यालय के पत्र क्र. 77-भू-अर्जन-2015, दिनांक 30 मार्च 2015 के द्वारा पूर्व में 23 ग्रामों की भूमि क्षेत्रफल 153.293 हे. इसी प्रयोजन की होने से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट दी जा चुकी है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूं:—

क्रमांक	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खरगोन	सनावद	09	भातुड	8.060	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु.
2	–"–	–"–	09	डाल्याखेड़ी	11.048	–"–
3	–"–	–"–	09	भगोरा	1.138	–"–
4	–"–	–"–	10	भोगावा निपानी	3.754	–"–
5	–"–	–"–	11	भुगदड़	5.587	–"–
6	–"–	–"–	11	टाकली	5.254	–"–
7	–"–	–"–	11	खानपुरा	9.573	–"–
8	–"–	–"–	12	आरसी	0.111	–"–
9	–"–	–"–	17	बालाबाद	0.416	–"–
10	–"–	–"–	21	बैडिया	2.451	–"–
11	–"–	–"–	23	बागदा खुर्द	1.812	–"–
12	–"–	–"–	23	तमोलिया	0.380	–"–
13	–"–	–"–	24	बागदा बुजुर्ग	1.092	–"–
14	–"–	–"–	26	गोराडिया	0.853	–"–
15	–"–	–"–	30	बिलाली	1.815	–"–
16	–"–	–"–	30	चमारदड	0.010	–"–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	खरगोन	सनावद	31	मोखनगांव	5.073	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु.
18	–''–	–''–	40	ढकलगांव	2.251	–''–
19	–''–	–''–	48	बोदगांव	2.767	–''–
20	–''–	–''–	49	बमनगांव	2.455	–''–
21	–''–	–''–	49	भोपालपुरा	0.489	–''–
22	–''–	–''–	50	ढसगांव	0.243	–''–
23	–''–	–''–	51	भारबरड	0.093	–''–
				योग . .	66.725	

नोट.—

1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाह, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 26 मार्च 2016

क्र. 852-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्रमांक-14-अ-82-2015-16.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 239/भू-भूर्जन/2016 बड़वाह दिनांक 21 जनवरी 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम-सिरलाय, प. ह. नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 29 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाईपलाईन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	मुखत्यारा प. ह. नं. 23	50/2	0.009
		कुल योग . .	01	0.009

क्र. 855-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्रमांक-05-अ-82-2015-16.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 36/भू-भूर्जन/2016 बड़वाह दिनांक 2 जनवरी 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम-सिरलाय, प. ह. नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 8 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	बागफल	2/1	0.024
		प.ह.नं. 44	4/1	0.086
			4/2	0.061
			6/1	0.120
			7	0.020
			11/1	0.122
			12	0.118
			13	0.020
			14/1	0.008
			15/1	0.038
			15/2	0.100
			15/3	0.053
			21/3	0.053
			कुल योग . .	0.823

क्र. 858-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्रमांक-06-अ-82-2015-16.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 41/भू-भूर्जन/2015 बड़वाह दिनांक 2 जनवरी 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम-सिरलाय, प. ह. नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 8 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	नरसिंहपुरा	21/1, 21/2	0.151
		प.ह.नं. 44	22	0.011
			23	0.005
			कुल योग . .	0.167

क्र. 861-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्रमांक-08-अ-82-2015-16.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 51/भू-भूर्जन/2016 बड़वाह दिनांक 2 जनवरी 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम-सिरलाय, प. ह. नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 8 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	उमरिया	15/8	0.082
		प.ह.नं. 18	15/9	0.011
			15/11	0.115
			227/7	0.022
			227/8	0.164
			227/9	0.180
			244/1	0.177
			245/3	0.062
			316/2	0.142
			317/1	0.013
			304/1	0.087
			304/2	0.098
			303/4	0.044
			315/2	0.125
			315/3	0.016
			308/1/3	0.054
			315/1	0.044
			322/4	0.044
			322/8	0.120
			322/11	0.185
			कुल योग . .	1.785

मधुवंतराव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 27 फरवरी 2016

क्र. 6 अ-82-15-16-भू-अर्जन-1803.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	मुलताई	पचधार	71.067	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला-बैतूल (म. प्र.).	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(1) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 7 अ-82-15-16-भू-अर्जन-1809.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	मुलताई	गरव्हा	310.347	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला-बैतूल (म. प्र.).	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(1) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि-अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 08 अ-82-15-16-भू-अर्जन-1811.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	मुलताई	देवडोंगरी	91.616	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला-बैतूल (म. प्र.).	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(1) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 09 अ-82-15-16-भू-अर्जन-1812.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013

की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	मुलताई	नांदकुडी	98.422	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला-बैतूल (म. प्र.).	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(1) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 10 अ-82-15-16-भू-अर्जन-1808.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	मुलताई	काजली	11.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला-बैतूल (म. प्र.).	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(1) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 11 अ-82-15-16-भू-अर्जन-1807.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	मुलताई	बोरगांव	129.844	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला-बैतूल (म. प्र.).	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(1) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 12 अ-82-15-16-भू-अर्जन-1806.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	मुलताई	डोहलन	121.415	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला-बैतूल (म. प्र.).	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(1) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 13 अ-82-15-16-भू-अर्जन-1805.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	मुलताई	कुटखेड़ी	49.507	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला-बैतूल (म. प्र.).	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(1) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 15 अ-82-15-16-भू-अर्जन-1810.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	मुलताई	गौला	251.372	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला-बैतूल. (म. प्र.).	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(1) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 मार्च 2016

क्र. 740-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	बूड़ा	6.30	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	6.30		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 742-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बरा	8.30	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	8.30		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 744-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मलमऊ	8.30	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	8.30		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 746-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बमुरहा	6.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	6.50		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 748-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता

है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सुजावल खुर्द	7.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	7.50		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 750-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बांधी	6.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	6.75		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 752-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण

धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	नयागांव	15.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	15.00		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 754-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	गोरसरी	9.20	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	9.20		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 756-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण

धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	खुटहा	8.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	8.75		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 758-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मउदहा	10.3	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	10.3		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 760-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सभापुर	7.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	7.40		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 762-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	हरदुआ	8.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	8.40		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 764-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पटना	7.10	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	7.10		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 766-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	तिघरा	8.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	8.75		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 768-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	गुढवा	11.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	11.40		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 770-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	गुरगांव	9.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग .	9.40		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 772-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	हलिया	8.90	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग .	8.90		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 774-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बहेरा	5.6	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	5.6		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 776-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	कोटरा	3.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase Ist).
		योग . .	3.75		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 778-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बैरहना	11.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	11.40		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 780-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सलैया	8.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	8.00		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 782-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सुजावल कला	7.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	7.00		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 784-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	माजन	6.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग . .	6.50		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 786-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पुरैनी	3.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase Ist).
			योग . 3.00		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 788-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	नीमी	6.44	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase Ist).
			योग . 6.44		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 790-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	खांच	3.85	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
			योग . 3.85		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 792-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	खम्हरिया	3.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IIIrd).
		योग .	3.75		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 794-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सोनवर्षा	3.90	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IIIrd).
		योग .	3.90		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 796-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सेमरी	4.375	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IIIrd).
		योग . .	4.375		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 798-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	हरिहरपुर	6.30	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
		योग .	6.30		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 800-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	शिवपुरवा	4.25	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IIIrd).
		योग .	4.25		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 802-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पडुहार	4.10	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.).	मझगवॉ शाखा नहर हेतु (Fase IIrd).
		योग .	4.10		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 14 मार्च 2016

क्र. 834-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बीरखाम	0.522	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा जिला-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के कोठी टोला माइनर एवं सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 16 मार्च 2016

क्र. 849-प्रशा.-भू-अर्जन-गोविन्दगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़-मऊगंज उद्‌वहन सिंचाई योजना के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बेला	0.090	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र.).	बेला 0.090 हे. बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्‌वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 851-प्रशा.-भू-अर्जन-गोविन्दगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़-मऊगंज उद्‌वहन सिंचाई योजना के पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	उमरी	0.040	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र.).	उमरी 0.040 हे. बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्‌वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 853-प्रशा.-भू-अर्जन-गोविन्दगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़-मऊगंज उद्‌वहन सिंचाई योजना के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पड़ेरूआ	0.070	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र.).	पड़ेरूआ 0.070 हे. बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्‌वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 855-प्रशा.-भू-अर्जन-गोविन्दगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़-मऊगंज उद्‌वहन सिंचाई योजना के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	सहिजना	0.356	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र.).	सहिजना 0.356 हे. बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्‌वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 857-प्रशा.-भू-अर्जन-गोविन्दगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़-मऊगंज उद्‌वहन सिंचाई योजना के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बगदरी	0.072	कार्यपालन यंत्री भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र.).	बगदरी 0.072 हे. बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्‌वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 5 मार्च 2016

क्र. 3416-वा.भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—लांजी

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पौसेरा, प.ह.नं. 20, रा.नि.म. लांजी

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.277 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
209	0.008
245	0.081
236/6	0.061
244	0.121
241/1ख, 241/1ग	0.004
236/14	0.002
योग . .	0.277

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—घोटी पौसेरा-चिलोरा-चौरिया में सोन नदी पर पुल निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghat@nic. in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 18 मार्च 2016

पत्र क्र. 109-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि, ग्राम करहिया-81, रीवा जिले के बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) नगर/ग्राम—करहिया-81

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.876 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
349	0.335
350	0.087
351/2	0.016
361	0.032
362	0.004
809/361	0.057
360/1	0.018
360/2	0.018
360/3	0.018
360/8	0.012
360/7	0.012
360/6	0.012
360/5	0.012
360/4	0.012
357	0.053
356/1	0.006
356/2	0.006
356/3	0.006
358	0.024
376/1	0.008
376/2	0.002
376/3	0.003
376/4	0.003
806/376/1	0.012
806/376/2	0.003
806/376/3	0.003
806/376/4	0.003
806/376/5	0.003
381/1	00.89
382/1	0.051
381/2	0.089
382/2	0.051
384/1	0.004
384/2	0.002
388/3	0.020
389/1	0.020
390	0.024
(1)	(2)
392/2	0.024
469	0.089
470	0.022
472	0.008
474/2	0.012
475	0.036
477/1	0.016
477/2	0.024
476	0.065
478	0.004
808/478	0.061
494/1	0.036
491/1	0.010
491/2	0.077
490/2	0.073
492/2	0.022
493/1/1	0.008
527/1	0.061
529/2/1	0.033
529/2/1/1	0.004
754/4 क	0.061
योग . .	1.876

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— रीवा जिले के बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 मार्च 2016

पत्र क्र. 873-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—मझिगवां पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.873 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
94	0.104	–
95	0.215	–
96	0.337	–
97	0.085	–
98	0.004	–
101	0.051	–
102	0.077	–
कुल योग . .	0.873	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 875-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—अतरौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.100 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
6	0.100	–
कुल योग	0.100	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 877-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—बड़ाछ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.410 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
4	0.410	0.000
कुल योग . .	0.410	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 879-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—बड़ागांव
(घ) क्षेत्रफल—0.052 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
48	0.018	–
109	0.028	–
1723	0.003	–
1742	0.003	–
कुल योग	0.052	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 881-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—मझियारी
(घ) क्षेत्रफल—3.623 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
1	0.128	–
4	0.148	–
7	0.042	–
8	0.097	–
13	0.120	–
15	0.328	–
19	0.272	–
38	0.132	–
41	0.136	–
42	0.036	–
46	0.002	–
53	0.035	–
55	0.032	–
56	0.068	–
57	0.038	–
58	0.152	–
92	0.051	–
93	0.059	–
98	0.300	–
101	0.089	–
102	0.030	–
103	0.057	–
104	0.002	–
105	0.024	–
110	0.098	–
179	–	0.057
185	0.129	–
193	0.145	–
195	0.177	–
203	0.023	–
204	0.120	–
205	0.091	–
210	0.240	–
212	0.165	–
योग . .	3.623	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 883-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—कैथीपचकठा
(घ) क्षेत्रफल—1.107 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
58	0.010	-
59	0.114	-
62	0.007	-
63	0.076	-
64	0.010	-
69	0.058	-
87	0.048	-
88	0.034	-
89	0.025	-
90	0.062	-
91	0.101	-
92	0.007	-
95	0.024	-
96	0.115	-
183	0.003	-
184	0.144	-
188	0.022	-
189	0.046	-
190	0.134	-
191	0.067	-
कुल योग . .	1.107	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 885-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—रामपुर कोठार
(घ) क्षेत्रफल—1.419 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
46	0.288	-
652	0.288	-
670	0.435	-
671	0.262	-
721	0.146	-
कुल योग . .	1.419	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 887-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—लेदा
(घ) क्षेत्रफल—0.708 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
6	0.072	-
13	0.064	-
15	0.156	-
16	0.024	-
22	0.100	-
23	0.168	-
45	0.100	-
48	-	0.024
कुल योग . .	0.708	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 889-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—डोड़ौ
(घ) क्षेत्रफल—1.481 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
10	0.360	-
11	0.450	-
21	0.348	-
25	0.110	-
29	0.213	-
कुल योग . .	1.481	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016

प्र. क्र. 004-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन

तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—कोट, प.ह.नं. 46

(घ) क्षेत्रफल—2.150 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
186	0.090	निजी भूमि
185	0.130	निजी भूमि
292/1	0.010	निजी भूमि
202	0.170	निजी भूमि
205	0.070	निजी भूमि
306/1	0.050	निजी भूमि
306/2	0.050	निजी भूमि
296	0.040	निजी भूमि
297	0.010	निजी भूमि
298	0.020	निजी भूमि
299	0.020	निजी भूमि
290	0.020	निजी भूमि
293/2	0.020	निजी भूमि
656	0.020	निजी भूमि
292/2	0.010	निजी भूमि
291	0.020	निजी भूमि
293/1	0.020	निजी भूमि
294	0.030	निजी भूमि
288	0.020	निजी भूमि
550	0.220	निजी भूमि
289	0.020	निजी भूमि
604	0.130	निजी भूमि
669/2	0.010	निजी भूमि
607	0.150	निजी भूमि
619/1	0.070	निजी भूमि
618	0.060	निजी भूमि
669/1	0.010	निजी भूमि
619/2	0.070	निजी भूमि
668	0.010	निजी भूमि
670	0.060	निजी भूमि
671	0.010	निजी भूमि
666	0.130	निजी भूमि
665	0.010	निजी भूमि
655	0.050	निजी भूमि
649	0.100	निजी भूमि
645	0.120	निजी भूमि
643/1	0.050	निजी भूमि
643/2	0.050	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.150	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 005-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—बरहाखर्द, प.ह.नं. 46

(घ) क्षेत्रफल—1.120 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
19/1	0.010	निजी भूमि
19/2	0.010	निजी भूमि
21	0.080	निजी भूमि
22	0.010	निजी भूमि
28	0.020	निजी भूमि
29	0.010	निजी भूमि
25	0.090	निजी भूमि
26	0.010	निजी भूमि
27	0.080	निजी भूमि
106	0.010	निजी भूमि
105	0.070	निजी भूमि
104	0.010	निजी भूमि
107	0.020	निजी भूमि
108	0.130	निजी भूमि
109	0.020	निजी भूमि
96	0.010	निजी भूमि
93	0.110	निजी भूमि
92	0.010	निजी भूमि
89/1	0.010	निजी भूमि
88/2	0.025	निजी भूमि
89/2	0.010	निजी भूमि
88/1	0.025	निजी भूमि
83	0.080	निजी भूमि
263	0.020	निजी भूमि
82	0.030	निजी भूमि
81	0.010	निजी भूमि
246	0.040	निजी भूमि
276	0.040	निजी भूमि
262	0.040	निजी भूमि
261/1	0.020	निजी भूमि
261/2	0.020	निजी भूमि
274	0.040	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.120	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 006-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—सिमरीसूरत, प.ह.नं. 46

(घ) क्षेत्रफल—1.624 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
17	0.110	निजी भूमि
18	0.010	निजी भूमि
19	0.050	निजी भूमि
20	0.010	निजी भूमि
21	0.010	निजी भूमि
31/1	0.040	निजी भूमि
31/2क	0.020	निजी भूमि
31/2 ख	0.020	निजी भूमि
30	0.010	निजी भूमि
29/2	0.160	निजी भूमि
28	0.010	निजी भूमि
29/1	0.040	निजी भूमि
27/1	0.060	निजी भूमि
27/2	0.060	निजी भूमि
145	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
144	0.010	निजी भूमि
143	0.090	निजी भूमि
146	0.040	निजी भूमि
142	0.080	निजी भूमि
140	0.010	निजी भूमि
139	0.090	निजी भूमि
110	0.010	निजी भूमि
141	0.010	निजी भूमि
136/1	0.050	निजी भूमि
137	0.010	निजी भूमि
136/2	0.050	निजी भूमि
138	0.010	निजी भूमि
135	0.120	निजी भूमि
134	0.080	निजी भूमि
133	0.064	निजी भूमि
131	0.010	निजी भूमि
132	0.070	निजी भूमि
130	0.100	निजी भूमि
129	0.020	निजी भूमि
128	0.020	निजी भूमि
127	0.060	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.624	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 009-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—कोहनी, प.ह.नं. 11
(घ) क्षेत्रफल—1.550 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
61	0.070	निजी भूमि
75/2	0.020	निजी भूमि
409	0.110	निजी भूमि
909/1	0.050	निजी भूमि
74/1	0.010	निजी भूमि
80	0.010	निजी भूमि
73/1	0.050	निजी भूमि
81	0.080	निजी भूमि
79	0.020	निजी भूमि
83/1	0.020	निजी भूमि
82/1	0.010	निजी भूमि
280	0.130	निजी भूमि
286	0.020	निजी भूमि
283	0.070	निजी भूमि
288/1	0.010	निजी भूमि
310	0.010	निजी भूमि
288/2/ख	0.050	निजी भूमि
288/2/क/1	0.010	निजी भूमि
288/2/क/2	0.010	निजी भूमि
309	0.050	निजी भूमि
308	0.010	निजी भूमि
307	0.130	निजी भूमि
372	0.020	निजी भूमि
375	0.050	निजी भूमि
381	0.050	निजी भूमि
376	0.010	निजी भूमि
380/1	0.020	निजी भूमि
383/1/1	0.010	निजी भूमि
383/1/2	0.010	निजी भूमि
386	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
383/2	0.010	निजी भूमि
385	0.040	निजी भूमि
424	0.050	निजी भूमि
421	0.010	निजी भूमि
425	0.020	निजी भूमि
420	0.030	निजी भूमि
1068/2	0.050	निजी भूमि
1068/3	0.020	निजी भूमि
1068/4	0.050	निजी भूमि
387	0.060	निजी भूमि
391	0.050	निजी भूमि
423	0.030	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.550	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 29 फरवरी 2016

प्र. क्र. 016-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पन्ना

(ग) ग्राम—अहिरगवां, प.ह.नं. 29

(घ) क्षेत्रफल—2.161 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
451	0.316	निजी भूमि
458	0.023	निजी भूमि
566	0.030	निजी भूमि
563	0.020	निजी भूमि
460	0.045	निजी भूमि
562	0.115	निजी भूमि
461	0.140	निजी भूमि
420	0.112	निजी भूमि
421	0.100	निजी भूमि
414	0.020	निजी भूमि
377	0.224	निजी भूमि
381	0.196	निजी भूमि
353/1	0.333	निजी भूमि
353/2	0.026	निजी भूमि
346	0.028	निजी भूमि
341	0.010	निजी भूमि
340/1	0.072	निजी भूमि
345	0.145	निजी भूमि
343	0.206	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.161	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलखुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 017-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन

की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—उड़की, प.ह.नं. 29
(घ) क्षेत्रफल—0.930 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
67	0.115	निजी भूमि
66	0.040	निजी भूमि
65	0.198	निजी भूमि
57	0.120	निजी भूमि
17/1	0.016	निजी भूमि
17/2	0.016	निजी भूमि
17/3	0.016	निजी भूमि
17/4	0.016	निजी भूमि
9	0.105	निजी भूमि
10	0.288	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.930	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलखुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 018-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—बिलखुरा, प.ह.नं. 28
(घ) क्षेत्रफल—4.235 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
753	0.050	निजी भूमि
755	0.067	निजी भूमि
748	0.078	निजी भूमि
747	0.067	निजी भूमि
739	0.286	निजी भूमि
740	0.011	निजी भूमि
741	0.126	निजी भूमि
672	0.090	निजी भूमि
675	0.024	निजी भूमि
671	0.090	निजी भूमि
728	0.010	निजी भूमि
674/1	0.038	निजी भूमि
676	0.090	निजी भूमि
683/1	0.042	निजी भूमि
683/2	0.042	निजी भूमि
686	0.070	निजी भूमि
687	0.020	निजी भूमि
699	0.010	निजी भूमि
698	0.020	निजी भूमि
355	0.012	निजी भूमि
693	0.080	निजी भूमि
697	0.054	निजी भूमि
696	0.080	निजी भूमि
695	0.031	निजी भूमि
357	0.072	निजी भूमि
356	0.077	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
317	0.017	निजी भूमि
318	0.078	निजी भूमि
312	0.080	निजी भूमि
354	0.024	निजी भूमि
153	0.025	निजी भूमि
311	0.088	निजी भूमि
310	0.045	निजी भूमि
308	0.058	निजी भूमि
307	0.080	निजी भूमि
187	0.106	निजी भूमि
185	0.050	निजी भूमि
186	0.056	निजी भूमि
133	0.048	निजी भूमि
136	0.029	निजी भूमि
92	0.120	निजी भूमि
135	0.048	निजी भूमि
155	0.034	निजी भूमि
154	0.034	निजी भूमि
150	0.062	निजी भूमि
145/2	0.012	निजी भूमि
151	0.052	निजी भूमि
102	0.076	निजी भूमि
101	0.025	निजी भूमि
100	0.045	निजी भूमि
99	0.121	निजी भूमि
94	0.160	निजी भूमि
90/2	0.054	निजी भूमि
89	0.074	निजी भूमि
76	0.129	निजी भूमि
75	0.158	निजी भूमि
11/1	0.130	निजी भूमि
11/2	0.180	निजी भूमि
13/1	0.120	निजी भूमि
13/2	0.180	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	4.235	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलखुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 022-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—जनकपुर, प.ह.नं. 23
(घ) क्षेत्रफल—1.425 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1/1	1.425	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.425	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जनकपुर तालाब योजना के अन्तर्गत(छूटे हुये रकबे) बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016

प्र. क्र. 015-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—इटवांकला, प.ह.नं. 04
(घ) क्षेत्रफल—7.443 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1508	0.251	निजी भूमि
1509	0.304	निजी भूमि
1510/2	1.000	निजी भूमि
1506	0.320	निजी भूमि
1510/1	0.133	निजी भूमि
1531/1	0.030	निजी भूमि
1530	0.035	निजी भूमि
1505	0.093	निजी भूमि
1504	0.101	निजी भूमि
1511	0.110	निजी भूमि
1512	0.010	निजी भूमि
1513	0.030	निजी भूमि
1517	0.120	निजी भूमि
1503	0.129	निजी भूमि
1518/1	0.100	निजी भूमि
1502	0.400	निजी भूमि
1501	0.263	निजी भूमि
1496	0.010	निजी भूमि
1497	0.142	निजी भूमि
1498	0.093	निजी भूमि
1499/2	0.109	निजी भूमि
1471	0.105	निजी भूमि
1472	0.024	निजी भूमि
1473/1	0.058	निजी भूमि
1473/2	0.058	निजी भूमि
1473/3	0.058	निजी भूमि
1500	0.194	निजी भूमि
1499/3	0.043	निजी भूमि
1499/1	0.083	निजी भूमि
1480	0.154	निजी भूमि
1481	0.057	निजी भूमि
1482	0.575	निजी भूमि
1483	0.069	निजी भूमि
1488/1	0.010	निजी भूमि
1454/1	0.013	निजी भूमि
1457	0.061	निजी भूमि
1451	0.040	निजी भूमि
1452	0.040	निजी भूमि
1453	0.024	निजी भूमि
1454/2	0.011	निजी भूमि
1455	0.045	निजी भूमि
1456/1	0.050	निजी भूमि
1458/1	0.016	निजी भूमि
1462/1	0.020	निजी भूमि
1463/1	0.020	निजी भूमि
1464/1	0.015	निजी भूमि
1465/1	0.015	निजी भूमि
1466/1	0.055	निजी भूमि
1467/1	0.036	निजी भूमि
1468/1	0.029	निजी भूमि
1475/1	0.040	निजी भूमि
1456/2	0.051	निजी भूमि
1458/2	0.016	निजी भूमि
1462/2	0.020	निजी भूमि
1463/2	0.020	निजी भूमि
1464/2	0.015	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1465/2	0.015	निजी भूमि
1466/2	0.054	निजी भूमि
1467/2	0.037	निजी भूमि
1468/2	0.028	निजी भूमि
1475/2	0.041	निजी भूमि
1460	0.049	निजी भूमि
1469	0.081	निजी भूमि
1474	0.170	निजी भूमि
1470	0.121	निजी भूमि
1459	0.089	निजी भूमि
1476	0.113	निजी भूमि
1479	0.105	निजी भूमि
1477	0.109	निजी भूमि
1478	0.328	निजी भूमि
1448	0.040	निजी भूमि
1461	0.060	निजी भूमि
1450/1	0.080	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि. .	7.443	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 027-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन,—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—मेहगुवांखुर्द, प.ह.नं. 19

(घ) क्षेत्रफल—1.765 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
162	0.010	निजी भूमि
7	0.120	निजी भूमि
161	0.150	निजी भूमि
163	0.010	निजी भूमि
259	0.050	निजी भूमि
167	0.200	निजी भूमि
173	0.010	निजी भूमि
172	0.010	निजी भूमि
168	0.020	निजी भूमि
153	0.030	निजी भूमि
155	0.005	निजी भूमि
174	0.110	निजी भूमि
175	0.080	निजी भूमि
177	0.080	निजी भूमि
180	0.010	निजी भूमि
181/1	0.005	निजी भूमि
181/2	0.005	निजी भूमि
182/4	0.020	निजी भूमि
182/1	0.020	निजी भूमि
182/2	0.020	निजी भूमि
182/3	0.020	निजी भूमि
112	0.010	निजी भूमि
109	0.040	निजी भूमि
110	0.005	निजी भूमि
100	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
101	0.010	निजी भूमि
108	0.030	निजी भूमि
102	0.070	निजी भूमि
260	0.010	निजी भूमि
258	0.030	निजी भूमि
257	0.010	निजी भूमि
267	0.010	निजी भूमि
320/1	0.040	निजी भूमि
320/2	0.040	निजी भूमि
319	0.010	निजी भूमि
303	0.120	निजी भूमि
302	0.025	निजी भूमि
164	0.080	निजी भूमि
159/1	0.080	निजी भूमि
152	0.030	निजी भूमि
154	0.010	निजी भूमि
12	0.070	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि.	1.765	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 030-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—निवहरी, प.ह.नं. 39

(घ) क्षेत्रफल—0.770 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
254/1	0.050	निजी भूमि
254/2	0.050	निजी भूमि
255/2	0.040	निजी भूमि
254/3	0.050	निजी भूमि
255/3	0.040	निजी भूमि
254/4	0.050	निजी भूमि
255/4	0.040	निजी भूमि
255/1	0.450	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि.	0.770	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 204-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—विक्रमपुर, प.ह.नं. 23

(घ) क्षेत्रफल—10.340 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
729	0.100	निजी भूमि
724	0.060	निजी भूमि
727	0.030	निजी भूमि
638	0.390	निजी भूमि
673	0.570	निजी भूमि
694	0.730	निजी भूमि
695	1.000	निजी भूमि
701	0.150	निजी भूमि
705	0.080	निजी भूमि
704	0.060	निजी भूमि
878	0.600	निजी भूमि
869/1	1.530	निजी भूमि
737/2	0.620	निजी भूमि
674	0.890	निजी भूमि
637	0.200	निजी भूमि
886	0.400	निजी भूमि
887/1	0.120	निजी भूमि
887/2	0.500	निजी भूमि
719	0.100	निजी भूमि
720	0.100	निजी भूमि
721	0.110	निजी भूमि
722	0.150	निजी भूमि
723	0.090	निजी भूमि
725	0.050	निजी भूमि
726	0.050	निजी भूमि
735	1.000	निजी भूमि
706/मिन/1	0.160	निजी भूमि
317	0.040	निजी भूमि
318	0.060	निजी भूमि
321	0.050	निजी भूमि
322	0.170	निजी भूमि
458	0.020	निजी भूमि
463	0.010	निजी भूमि
323	0.050	निजी भूमि
471	0.030	निजी भूमि
480	0.010	निजी भूमि
539	0.010	निजी भूमि
481	0.040	निजी भूमि
591	0.010	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि.	10.340	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—द्वारी तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य (छूटी हुई भूमि) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2016

क्र. B-947-दो-2-32-2014 .—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 15 से 16 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2016

क्र. B-966-दो-2-47-2010 .—श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 3 से 5 मार्च 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-979-दो-2-40-2009 .—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 5 से 11 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-878-दो-2-24-2014 .—श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-880-दो-2-24-2014 .—श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 8 से 9 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-883-दो-3-43-2013 .—श्रीमती मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 15 से 17 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 8 मार्च 2016

क्र. B-985-दो-2-5-2015 .—श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास का दिनांक 22 से 25 फरवरी 2016 तक, चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B-987-दो-2-49-2007 .—श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर को दिनांक 8 से 11 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 4 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12, 13 एवं 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर को मंडलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-989-दो-2-38-2014 .—श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 26 से 27 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. जाटव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2016

क्र. B-845-तीन-6-2-2016 .—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260(1)(ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अरविंद सिंह टेकाम, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	कटनी	कटनी
2	कु. तबस्सुम खान, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	जबलपुर	जबलपुर
3	कु. स्नेहा सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	दमोह	दमोह
4	श्री उत्तम कुमार डार्वी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	नीमच	नीमच
5	श्रीमती शुभांगी पालो दत्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	जबलपुर	जबलपुर
6	कु. श्वेता श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	जबलपुर	जबलपुर
7	श्री विनोद वर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	जबलपुर	जबलपुर
8	श्री सुशील अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	जबलपुर	जबलपुर
9	श्री राकेश मरावी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	जबलपुर	जबलपुर
10	श्री दीपक अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	जबलपुर	जबलपुर
11	श्री डी. पी. सूत्रकार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	जबलपुर	जबलपुर
12	श्री शशांक सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	जबलपुर	जबलपुर
13	श्री वीरेन्द्र वर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रतलाम	रतलाम

(1)	(2)	(3)	(4)
14	श्रीमती रंजीता सोलंकी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रतलाम	रतलाम
15	श्री दिलीप सिंह परमार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	आलोट	रतलाम
16	श्री व्ही. पी. सोलंकी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सैलाना	रतलाम
17	श्री पुंजया बरिया, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	अलीराजपुर	अलीराजपुर
18	श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	धार	धार
19	श्री मोह. असलम देहलवी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	धार	धार
20	श्रीमती विधि डागलिया, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	धार	धार
21	श्री श्रीकृष्ण डागलिया, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	धार	धार
22	श्री संजोग सिंह वाघेला, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	धार	धार
23	श्री दिनेश मीणा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	धार	धार
24	श्री अरविन्द सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	निवाड़ी	टीकमगढ़
25	श्री रोहित श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ओरछा	टीकमगढ़
26	श्री विजेन्द्र सिंह रावत, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	टीकमगढ़	टीकमगढ़
27	श्री सुमित शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	टीकमगढ़	टीकमगढ़
28	श्रीमती नमिता द्विवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	टीकमगढ़	टीकमगढ़
29	श्रीमती सुरूचि रावत, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	टीकमगढ़	टीकमगढ़
30	श्री महेश लचोरिया, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	जतारा	टीकमगढ़
31	श्री शिव कुमार डावर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भोपाल	भोपाल
32	श्री विपेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भोपाल	भोपाल
33	श्रीमती शोभना मीना, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भोपाल	भोपाल
34	कु. संचिता भदकारिया, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भोपाल	भोपाल
35	श्रीमती वंदना त्रिपाठी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	छतरपुर	छतरपुर
36	श्री सतीश शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	लौड़ी	छतरपुर
37	श्री निर्भय कुमार गरवा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	लौड़ी	छतरपुर
38	श्री रविशंकर दोहरे, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	बड़ामलहरा	छतरपुर
39	श्रीमती आरती डींगरा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	शाजापुर	शाजापुर
40	कु. स्वाती बजाज, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	शुजालपुर	शाजापुर
41	श्री जैनुल आबदीन, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सीधी	सीधी
42	श्री आशीष कुमार केसरवानी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सीधी	सीधी
43	श्रीमती सुनिता गोयल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गुना	गुना
44	श्रीमती आकांक्षा कत्याल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गुना	गुना
45	श्री रवीन्द्र गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	राघोगढ़	गुना
46	श्री अंकित श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	श्योपुर	श्योपुर
47	श्री नवनीत सिंह यादव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	लहार	भिण्ड
48	श्रीमती मेधा अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	लहार	भिण्ड
49	श्री सुनित अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	लहार	भिण्ड
50	श्री प्रियंक दुबे, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मेहगांव	भिण्ड
51	श्री विकास शुक्ला, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भिण्ड	भिण्ड
52	श्रीमती श्वेता तिवारी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	उज्जैन	उज्जैन
53	कु. रूचिता गुर्जर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	तराना	उज्जैन
54	श्री राम सिंह बघेल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	महिदपुर	उज्जैन

(1)	(2)	(3)	(4)
55	श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	महिदपुर	उज्जैन
56	श्री दारासिंह मंडलोई, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	उज्जैन	उज्जैन
57	श्रीमती वर्षा सिंह भाटी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	उज्जैन	उज्जैन
58	श्रीमती शर्मिला बिलवार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	उज्जैन	उज्जैन
59	श्री ब्रजेश गोयल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	उज्जैन	उज्जैन
60	श्रीमती विनिता गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	नागदा	उज्जैन
61	श्री एम. पी. नामदेव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	इंदौर	इंदौर
62	श्री राकेश सनोडिया, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	इंदौर	इंदौर
63	श्रीमती प्रेमलता बोराना, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	इंदौर	इंदौर
64	सुश्री रश्मि मंडलोई, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	इंदौर	इंदौर
65	सुश्री उर्मिला चौहान, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	इंदौर	इंदौर
66	श्री विक्रम सिंह डावर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	इंदौर	इंदौर
67	श्रीमती संगीता भारती राठौर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सांवेर	इंदौर
68	श्री नानसिंह ताहेड़, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	महू	इंदौर
69	श्री सचिन कुमार जाधव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	महू	इंदौर
70	श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	खंडवा	खंडवा
71	श्रीमती नमिता बोरासी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	खंडवा	खंडवा
72	कु. संगीता डावर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	खंडवा	खंडवा
73	श्रीमती प्रीती साल्वे, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रायसेन	रायसेन
74	श्रीमती कला भाम्मरकर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गोहरगंज	रायसेन
75	श्री अरविन्द श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	बरेली	रायसेन
76	श्री जय पाटीदार, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मंदसौर	मंदसौर
77	श्री मुकेश गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	शिवपुरी	शिवपुरी
78	श्रीमती मिनी गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	शिवपुरी	शिवपुरी
79	श्री राकेश कुमार कुशवाला, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	कोलारस	शिवपुरी
80	श्रीमती सरिता जतारिया, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	पिछोर	शिवपुरी
81	श्री विकास शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
82	श्री मनोज भाटी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
83	श्री संजीव कुमार पालीवाल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ग्वालियर	ग्वालियर
84	श्री प्रियंक भारद्वाज, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ग्वालियर	ग्वालियर
85	श्री अंबुज श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ग्वालियर	ग्वालियर
86	श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ग्वालियर	ग्वालियर
87	श्री आशुतोष यादव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ग्वालियर	ग्वालियर
88	श्री शिवराज सिंह गवली, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ग्वालियर	ग्वालियर
89	श्रीमती रंजना चतुर्वेदी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ग्वालियर	ग्वालियर
90	कु. रूचि गोलस, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ग्वालियर	ग्वालियर
91	कु. भावना सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ग्वालियर	ग्वालियर
92	श्री हेमंत सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भितरवार	ग्वालियर
93	सुश्री शैलजा गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	दतिया	दतिया
94	श्री राजीव राव गौतम, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	दतिया	दतिया
95	श्री रवि नायक, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी	पन्ना	पन्ना

जबलपुर, दिनांक 4 मार्च, 2016

क्र. 279-गोपनीय-2016-दो-3-250-57(भाग-34) .—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक), दिनांक 24, 25 एवं 29 फरवरी, 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राज कुमार त्रिपाठी	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	सुश्री संजू तिवारी	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	श्री विनिक जैन	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, गुना के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	सुश्री अंशु चौहान	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5	श्री अभिषेक कुमार	सीधी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सीधी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
6	श्री मृणाल मोहित	धार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
7	सुश्री सुधा पाण्डे	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
8	श्री अमन मलिक	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बैतूल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
9	सुश्री राखी साहू	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
10	सुश्री अंकिता राज	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
11	श्री जयबीर सिंह	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
12	सुश्री प्रितांजली सिंह	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
13	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, हरदा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
14	सुश्री नेहा यति	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मंदसौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
15	श्रीमती वंदना सिंह	दमोह	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
16	श्री मनोज कुमार	बड़वानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बड़वानी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 11 मार्च, 2016

क्र. 294-गोपनीय-2016-दो-3-250-57 (भाग-34).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(बी) 2-2014-इक्कीस-ब(एक) (मेरिट क्रमांक 37), दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	छिन्दवाड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

टिप्पणी.—आदेश क्रमांक 279/गोपनीय/2016/दो-3-250/57 (भाग-34), दिनांक 4-3-2016, जहां तक इसका संबंध श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव की प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, हरदा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), हरदा की हैसियत से हरदा में पदस्थापना से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2016

क्र. बी-1125-तीन-10-42-75-(कटनी-ढीमरखेड़ा) .—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री उमेश कुमार पटेल, षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कटनी अपने घोषित कार्यस्थल कटनी के अतिरिक्त, **ढीमरखेड़ा** में भी प्रत्येक माह में 15 (पन्द्रह) दिवस, वहाँ श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No.B/1125-III-10-42-/75 (Katni-Dhimarkheda).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Umesh Kumar Patel, VIth CJ-II, Katni in addition to his place of sitting declared at Katni, shall also sit at **Dhimarkheda,** for 15 (Fifteen) days in each month, for holding of Link Court there.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.)

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 मार्च 2016

क्र. 88-स्था.सैट-2016.—श्री आर. सी. पिठवे, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 1 से 6 फरवरी 2016 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्री आर. सी. पिठवे को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. पिठवे को अस्थायी रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), खण्डपीठ इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. पिठवे अवकाश पर नहीं जाते तो निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहते. चूंकि अवकाश पर गये हैं. अतः अवधि दिनांक 1 फरवरी 2016 से 6 फरवरी 2016 को मूलभूत नियम 26(ब) (2) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

आदेशानुसार,
भूपेन्द्र कुमार निगम, रजिस्ट्रार (प्रशासन).